FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम– मण्ड़ावर (दौसा)

मु.नं.– 45/21(विविध) उनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मंडावर बनाम पटवारी हल्का जटवाडा भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 131, 132 व राज. भू.अ.नियम 1957 की धारा 58, 59, 60, 66 एवं 86

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
14-02-22		

प्रार्थी तहसीलदार मण्डावर के द्वारा राजस्व ग्राम **नांगल मीना** तहसील मण्डावर के सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 283 रकबा 0.12 हैक्टे. किस्म गैर चाही 1 जाव 1 सम्पूर्ण भूमि मे से मौके पर जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात् नकल जमाबंदी, नकल नक्शा, मौके रिपोर्ट पटवारी हल्का **जटवाडा** एवं भू.अ.नि. **उंकरूद** एवं परिशिष्ट–ए एवं अभिशंषा तहसीलदार मंडावर प्रस्तुत करने पर पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 कैम्प **जटवाडा** में पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे।

तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित रास्ते की भूमि सार्वजनिक उपयोग मे आ रही है एवं मौके पर डामर रोड बनी हुई है जो की न्यु श्रीराम ईंट भट्टे से नांगल मीना की मूल आबादी तक जाता है। इसलिये राजस्व रिकॉर्ड में गै0 मु0 रास्ता आमजन हित मे दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का जटवाडा तहसीलदार मण्डावर व अन्य संलग्न दस्तावेजात व सुसंगत विधि प्रावधानों का अवलोकन किया गया। जिसमें उपरोक्त वर्णित चाही 1 जाव 1 भूमि के मौके पर संलग्न प्रस्तावित नक्शे के आमजन आवागमन हेतु रास्ता चालू है। इस प्रकार यह प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 स्वीकार किया जाता है। उक्त विवरण के संलग्न रिपोर्ट नक्शा के राजस्व रिकॉर्ड में से गै0 मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क0 सं0	नाम ग्राम	खं नं	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा जो मौके पर चालू है।
01	नांगलमीना	283	0.12	चाही 1 जाव 1	0.12 है.

तहसीलदार मण्डावर उपरोक्त विवरण के संलग्न रिपोर्ट नक्शा लाल स्याही से प्रस्तावित रकबे को गै0मु0 रास्ता दर्ज तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में अमल परामद करे। खातेदारी यथावत रहेगी। रिपोर्ट पटवारी हल्का, तहसीलदार/नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा। तहरीर जारी हो।

मिसल फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)